अनवान गिरधारीराम v/s रतनाराम
मुकदमा नंबर 35 / 2013

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13-08-25	पत्रावली पेश हुई। वादीगण वकील उपस्थित । वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता की बहस है कि वाद पत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा डिक्री किये जाने का आदेश फरमाया जावे। हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गंभीरता से अवलोकन व मनन किया गया। पक्षकारन के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है तथा वादीगण ने माफिक राजीनामा डिक्री जारी किये जाना का निवेदन किया गया है। लिहाजा वादीगण का निवेदन स्वीकार किया जाकर माफिक राजीनामा डिक्री जारी की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:45 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व इजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या 35/2013

वादीगण :–

1. गिरधारी पुत्र गेपाराम जाति रबारी निवासी गोलिया भायलान तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. मसराराम पुत्र गेपाराम जाति रबारी निवासी गोलिया भायलान तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रतनाराम पुत्र रामाराम जाति रबारी निवासी गोलिया भायलान तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. शंकरराम पुत्र रामाराम जाति रबारी निवासी गोलिया भायलान तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. मु. नौजी बेवा रामाराम जाति रबारी निवासी गोलिया भायलान तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. मैनेजर थार ग्रामीण बैक सिवाना
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : – 13.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हाजरी श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलह वकील श्री गजेसिह अधिवक्ता पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का वादी जरिये राजीनामा स्वीकार कर डिगरी दी जाती है कि सरहद गोलिया के खसरा संख्या 4 में वादीगण का 1/2 हिस्सा घोषित की जाती है। तहसीलदार सिवाना को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। खर्चा पक्षकार अपना –अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.08.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:45 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर (S.D.O)
सिवाना

सहायक कलक्टर
S.D.O. सिवाना